

8-1-19 बकील पार्थी उपाध्येत / पेंरोकार सरकार उपर
उभयपक्ष के इरावदत लुगे जाने का रिपेडन किया
वदत उभयपक्ष क्षमिमाषक लुगी गयी। पार्थी
के पार्थी पत्र का इलोकन किया। पार्थी
के द्वारा इल न्यायालय द्वारा प्रसं 23/17
इकानी सरकार बनाने के लोकी इलार्क धार
17787M के निर्णय दिनांक 8.5.18 पर

पुनः
द.र.

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अदालत
तारीख

पुनर्विचार कद निर्णय को अमान्य करने एवं
उत्तरों को पुनः नम्बर पर लिये जाते को विवेक
दिया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी की
आराजी कृषि भूमि का बिना संपादन करने
कृषि उपयोग में लिये जाते पर धारा 177
RTI के अन्तर्गत निर्णय पारित किया गया
है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थन पत्र में 09R13
संपादन धारा 151 जापडो में सैसा कोई कारण
शंकित नहीं किया है जिसके आधार पर निर्णय
दिनांक 8.5.18 को अमान्य किया जा सके। प्रार्थी
के द्वारा प्रार्थन पत्र में नाले भूमि अमान्यता
संपादन का प्रकरण लागू होना ही नहीं
प्रकरण पेश कराना आदि का अंकित किया गया
है। अतः बिना किसी अतिरिक्त कारण के न्यायालय
द्वारा पारित निर्णय को अमान्य किया जाना
अचित नहीं समझते हैं।

अतः प्रार्थन पत्र प्रार्थी 09R13 संपादन
धारा 151 CPC खारिज किया जाते है। पत्रावली
के बाल सुभाए होकर प्र. पत्र के साथ
लगाए रहे।

उपसहायिका
धौलपुर (राज.)